अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सोशल मीडिया

Dr.Pravin Kumar Jha
Arsd College, University of Delhi

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वर्तमान शताब्दी की आवश्यकताओं में से है, और जिस समाज में अभिव्यक्ति और संचार माध्यमों की स्वतंत्रता न हो वह तानाशाही समाज होता है। यह बात स्पष्ट है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ, अपमान, उपहास और अराजकता नहीं है बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ सदैव अपने तार्किक व यथार्थवाद व्यवहार से हटकर सामने आता है। प्रश्न यह है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में विश्व जनमत को किन साक्ष्यों पर भरोसा करना चाहिए? 'जब भी बोलना वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना मुख्तसर बोलना.' वाचिक परम्परा की इस सीख के साथ पत्रकारिता के पहले संवाददाता नारद, आद्य संपादक वेद व्यास, सर्वप्रथम लाइव टेलीकास्ट करने वाले महाभारत के संजय आदि से प्रारंभ होकर पत्रकारिता ने एक लंबा रास्ता तय किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मुगलकाल के वाक्यानवीस तथा प्रथम स्वातंत्र्य समर (१८५७) काल में रोटी व कलम प्रतीक के बाद राजकीय मुनादी और सुदूर देहाती क्षेत्रों में ठेठ हरकारों या संदियों से गुजरते हुए पत्रकारिता अपने वर्तमान अत्याधुनिक व क्रांतिकारी स्वरूप 'ई जर्नलिज्म या वेब पत्रकारिता' तक आ पहुंची है। सूचना प्रोद्यौगिकी, तकनीकी खोज व अविष्कार तथा इसके रोज बढ़ते प्रयोग और इंटरनेट के विस्तार ने वेब पत्रकारिता के फलक को और फैलाया है। वैश्वीकरण के दौर में ज्ञान, दर्शन, अध्यात्म और रचनात्मक सृजन के मानदंडों के साथ अत्याधुनिक तकनीकों के तालमेल से पत्रकारिता का फैलाव क्रांतिकारी स्तर तक हो गया है। पलक झपकते ही समूचे संसार से रूबरू होने का सहज साधन बनकर उभरी है वेब पत्रकारिता या सोशल मीडिया।

सार्वकालिक सत्य है कि सूचना में शक्ति है। आज इंटरनेट के विस्तार के साथ ही यह शक्ति नित बड़ी संख्या में न्यूज पोर्टल, वेबसाइट, ब्लहग, कियहस्क, सोशल नेटवर्किंग साइट आदि के अस्तित्व में आने से बढ़ती जा रही है। इसमें जनसंवाद की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकारों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। इसमें १९ से २२ की धारा में नागरिकों को बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित ६ प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करतीं हैं। अभिव्यक्ति का अर्थ विचारों के प्रकाशन से है। व्यक्तित्व के समायोजन के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अभिव्यक्ति को मुख्य साधन माना है। इसके द्वारा मनुष्य अपने मनोभावों को प्रकाशित करता तथा अपनी भावनाओं को रूप देता है। किसी सूचना या विचार को बोलकर, लिखकर या किसी अन्य रूप में बिना किसी रोकटोक के अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (तिममकवउ वि मस्त्रचतमेपवद) कहलाती है। अतः अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हमेशा कुछ न कुछ सीमा अवश्य होती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद १९(१) के तहत सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गयी है। इसी में मीडिया की स्वतंत्रता भी शामिल है, मीडिया की अभिव्यक्ति के लिए हमारे संविधान में कुछ अलग से नहीं है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिप्राय एक तो मीडिया या व्यक्ति के स्तर पर विचारों के द्वारा सूचनात्मक संवाद और दूसरा उसके मतों के प्रकाशन से है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सूचनाओं के स्वतंत्र प्रसार से सभी देश प्रगति के पथ पर आगे बढता है। प्रजातंत्र में 'प्रेस' को एक सचेतक कहा जाता है, जो समस्त राजनीतिक गलियारों की कड़ी निगरानी रखता है, प्रजातंत्र को सही दिशा देता है। भारतीय जनमत से सरकार को परिचित कराता है तथा दूसरी ओर, सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों से वह जनता को परिचित कराता है । साथ ही सरकार की नीतियां एवं कार्यक्रम राष्ट्रीय एवं सामाजिक हित में हैं, तो प्रेस के माध्यम से सरकार को जनसमर्थन मिलता है।

हर दिन उन्नत होती तकनीक ने वेब पत्रकारिता के विकास को ऊँची उड़ान दी है. सोशल मीडिया के पालने में वेब पत्रकारिता का बखूबी विकास हो रहा है। सोशल मीडिया आज कंप्यूटर, टेबलेट और मोबाइल का उपयोग कर रहे लोगों की दिनचर्या का अभिन्न अंग है और खबर का प्रमुख स्रोत भी. मल्टीमीडिया के प्रयोग ने इसे और आकर्षक बनाया है। पिछले सालों में वेब जाल के पूरी दुनिया पर तेजी से फैलने के साथ ही खबरों का जाल भी मजबूत हुआ है। विज्ञापन जगत का हर खिलाड़ी इस लोकप्रियता का अपने हित में इस्तेमाल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इस प्रतियोगिता ने वेब पत्रकारिता का बाजार पहले से कहीं अधिक बड़ा और प्रभावशाली बना दिया है। ताजा उम्मीदों के मुताबिक २०१६ से २०१९ के बीच सोशल मीडिया पर वैश्विक विज्ञापन का खर्च ७२ प्रतिशत बढ़ेगा। २०१६ में जहां इंटरनेट पर कुल विज्ञापन का १६ प्रतिशत हिस्सा केवल सोशल मीडिया पर खर्च होता है, २०१९ में यह हिस्सेदारी बढ़कर २० फीसदी हो जाएगी। आज विज्ञापन का एक बड़ा हिस्सा अखबारों पर खर्च होता है, लेकिन २०२० तक सोशल मीडिया को अखबारों से अधिक विज्ञापन मिल सकते हैं। अमरीका का उदाहरण दें तो जानकारों का मानना है कि २०१७ में पहली बार डिजिटल स्पेस पर विज्ञापन का आंकड़ा टीवी पर दिए जाने वाले आंकड़े से आगे निकल जाएगा। इस बड़े बदलाव पर पूरी दुनिया के विशेषज्ञों की नजर है क्योंकि दूसरे देशों पर भी इस

ट्रेंड का असर रहेगा। साफ तौर पर अमरीका के डिजिटल बाजार का असर भारत पर भी पड़ रहा है. इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन अहफ इंडिया (आईएमएआई) के मुताबिक भारत उपभोक्ताओं की संख्या की दृष्टि से अमरीका को पछाड़ कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपभोक्ता देश बन गया है।

पश्चिमी संचार माध्यम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अनैतिक व घृणित कार्यवाही का साक्षी रहा है। इस आधार पर पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि इस प्रकार के प्रोपेगैंडे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अधिकतर घृणा के प्रचार और स्वतंत्रता के अपमान से समन्वित हैं। हाडवर्ड विश्व विद्यालय के शोधकर्ता और उत्तरी कैलीफोर्निया विश्व विद्यालय में धार्मिक शोध के ईरानी प्रोफेसर उम्मीद सफी का भी मानना है कि अपमान जनक फिल्मों और कार्टूनों को बनाकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का औचित्य पेश नहीं किया जा सकता और इस प्रकार के फिल्म निर्माता व कार्टूनिस्ट खुलकर घृणा को हवा दे रहे हैं।यह स्वतंत्रता माध्यम के चुनाव पर भी लागू होता है, जिसके जरिए व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता है। एक व्यक्ति की बात को एक बड़े वर्ग तक पहुंचाने के लिए अखबार, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल और इंटरनेट जैसे कई संचार माध्यम है। यही कारण है कि मई २०१७ में भारतीय जनसंचार में मीडिया स्कैन द्वारा आयोजित सेमीनार के यज्ञ और कल्लूरी का विरोध वामपंथी संगठनो ने सोशल मीडिया पर जमकर किया। साहित्यकार बद्री नारायण के अनुसार, "आजकल लोग इन सोशल नेटवर्किंग साइट पर गाली में बात करते हैं. कोई किसी के बारे में कुछ भी लिख सकता है। ऐसी समस्या प्रिंट साहित्य में नहीं थी। कहने का तात्पर्य ये कि इस नई तकनीक का हिंदी को बिगाड़ने और बनाने दोनों ही रूपों में इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए इंटरनेट पर सक्रिय हिंदी जगत को बहुत जिम्मेदार होने की जरुरत है।

२०१५ में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट कानून की धारा ६६। को रद्द कर दिया है, जिसके तहत सरकार सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट करने वालों को गिरफ्तार कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक यह धारा अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि यह धारा मूल अधिकार का उल्लंघन और असंवैधानिक है। अभिव्यक्ति की आजादी सर्वोपरि रहनी चाहिए। हालांकि सरकार के पास वेबसाइट ब्लहक करने का अधिकार बरकरार रहेगा। साल २०१२ में मुंबई में फेसबुक पर शिवसेना नेता बाल ठाकरे के खिलाफ कमेंट करने पर २ लडकियों को गिरफ्तार किया गया था। लड़कियों की गिरफ्तारी के बाद देशभर में विरोध जताया गया था। यूपी में एक मामला सामने आया था जिसमें एसपी नेता और अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आजम खान के खिलाफ सोशल मीडिया पर कमेंट करने वाले एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया था। असीम त्रिवेदी को सोशल मीडिया पर संसद, राष्ट्र चिह्न के खिलाफ आपत्तिजनक कार्टून बनाने के लिए गिरफ्तार किया था। ममता बनर्जी के कार्टून बनाने पर प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा को गिरफ्तार किया गया था।

सोशल मीडिया के तहत अभिव्यक्ति की आजादी सवाल पर भारत के गली-कूचों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बहस जारी है। सुविख्यात ब्रिटिश जस्टिस लार्ड ब्रियन लेविसन ने सामाजिक अभिव्यक्ति के प्रश्न पर अपनी प्रबल प्रस्थापना पेश की थी, जिसे आज भी अनेक लोकतांत्रिक राष्ट्रों में एक शानदार कानूनी दिशा-निर्देश स्वीकार किया जाता रहा है, जिनमें भारत भी एक रहा है। ब्रिटेन में एक दौर आया था जबकि अभिव्यक्ति की आजादी का खुलकर दुरुपयोग प्रारम्भ हुआ और संगठित प्रेस से लेकर राजनीतिक दलों द्वारा साँस्कृतिक-सामाजिक और राजनीतिक हल्कों में स्थापित पराम्परागत मर्यादाओं का खुलकर उल्लंघन होने लगा। उस दौर में तकरीबन दो हजार पृष्ठों में अत्यंत विस्तार से जस्टिस लार्ड ब्रियन लेविसन ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रकाश डाला, जिसकी रौशनी में इंगलैंड का समाज, संसद और कानून अत्यंत प्रभावित हुआ। विश्व पटल पर सोशल मीडिया के पदार्पण के तत्पश्चात अभिव्यक्ति की आजादी का अत्यंत ताकतवर पहलू दुनिया के सामने आया, क्योंकि इसने व्यक्तियों और ग्रुपों के विचारों के प्रसार-प्रचार को विलक्षण विस्तार प्रदान कर दिया। विश्व रंगमंच पर सोशल मीडिया ने शक्तिशाली रुप से स्थापित होकर संस्थागत संगठित मीडिया के एकाधिकार से विचारों के प्रसार-प्रचार को बाहर कर दिखाया। सर्वविदित है कि एक व्यक्ति हो तथा संगठित मीडिया कानूनी मर्यादाओं के जो कायदे कानून इन सभी पर लागू होते रहे हैं, वही सब सोशल मीडिया पर स्वतः ही लागू हो जाते हैं, इसके लिए अलग से किसी पृथक कानूनी प्रावधान की दरकार नहीं समझी गई। सोशल मीडिया की असीम प्रचार-प्रसार शक्ति से शासक वर्ग अत्यंत हैरान-परेशान हो उठा है, क्योंकि संगठित संस्थागत मीडिया को राजसत्ता की शक्ति से प्रभावित कर पाना अपेक्षाकृत आसान रहा, किंतु सोशल मीडिया को काबू कर पाना अत्यंत दुश्वार सिद्ध हो रहा है। इजिप्ट के तहरीर चौक पर जमा हुए इंकलाबी आवाम ने हुस्नी मुबारक को उसके अंजाम तक पंहुचा दिया। दिल्ली के जंतर-मंतर पर भ्रष्ट्राचार विरोधी अन्ना आंदोलन ने भ्रष्ट्राचार की दलदल में गले तक गर्क भारतीय शासकवर्ग के छक्के छुड़ा दिए। शक्तिशाली शासक वर्ग को प्रतीत होने लगा कि सोशल मीडिया की ताकत ने विशाल मध्यवर्ग को भ्रष्ट्राचार विरोधी अन्ना आंदोलन से एकाकार किया है, अतः वे एकजुट होकर सोशल मीडिया पर लगाम कसने के लिए अत्यंत तत्पर हो उठे।

भारत ऐतिहासिक एवं साँस्कृतिक पर गहन सामाजिक मर्यादाओं से सराबोर राष्ट्र रहा है। भारत के सबसे पूज्यनीय आदरणीय व्यक्तित्व को मर्यादा पुरुषोत्म राजा रामचंद्र के तौर पर जाना पहचाना गया। समाज अपनी समूची रीति-नीति और समस्त तौर तरीकों को उस ऐतिहासिक दौर से स्वयं तय करता आया है जबकि समाज के पटल पर राजसत्ता का उदय भी नहीं हुआ था। जीवंत आदिवासी समाज के परम्परागत सामाजिक कायदे कानून आज भी दौर की स्मृतियां ताजा कर देता जबकि समूचे समाज के लिए राजसत्ता नहीं वरन् समाज स्वयं अपने लिए सामाजिक कानूनी मर्यादा निर्धारित किया करता था। अब यह सामाजिक रिवायतें भारत के आदिवासी समाज और कहीं कहीं गाँव-देहात में अवशेष के तौर पर सुरक्षित रह गई है। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने एक पूरक प्रश्न में पूछा कि क्या उच्च पदों पर बैठे लोगों को इस तरह के ट्रोल्स को फहलो नहीं करने के लिए कोई परामर्श जारी किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे ट्रोल फहलो किए हैं जिनमें घातक, जहरीली और द्वेष भरी बातें कही गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बारे में कुछ करना चाहिए।

गृह राज्यमंत्री ने इस पर कहा, 'भारत एक स्वतंत्र देश है और यहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हमारे संविधान में किसी पर कोई रोक लगाने का कोई प्रावधान नहीं है।' ब्रायन ने कहा, 'डिजिटल मीडिया पर कुछ ऐसे ट्रोल हैं जिनमें घातक, जहरीली और द्वेष भरी बातें कही जा रही हैं। प्रधानमंत्री डिजिटल मीडिया पर कुछ ऐसे अज्ञात लोगों को फहलो कर रहे हैं जिनमें द्वेष भरी बातें कही गई हैं। यद्यपि प्रधानमंत्री कुछ गलत नहीं लिख रहे हैं।'

लोकतांत्रिक देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही है पारदर्शिता। सोशल मीडिया के आने से इस संवैधानिक अधिकार को एक नया स्वरूप मिला जिसे हम आज के जागरूक और बेबाक समाज के रूप में देख रहे है। हाल ही में हुई घटनाएं जिनमें दिल्ली का सामूहिक दुष्कर्म या बीते साल में अन्ना व रामदेव का जन आन्दोलन इसके उदाहरण है। यह साइबर क्रान्ति भारत में ही नहीं बल्कि सारे विश्व पटल पर हो रही है। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी विशेषज्ञों द्वारा देशों में की गई जासूसी के आधार पर भारत पांचवा सबसे ज्यादा जासूसी किया गया देश है, भारतीय विदेश विभाग ने इस सन्दर्भ में अमेरिका से जवाब तलब भी किया है। सोशल मीडिया के उपभोक्ता का विवेक, मनोदशा और उसकी सामाजिक, शैक्षणिक तथा वैचारिक पृष्ठभूमि निर्धारित करती है कि सोशल मीडिया पर उसकी अभिव्यक्ति कैसी होगी। यहाँ विभिन्न विचारों, सोच और समझवाले लोग हैं, जो अपने मन-मुताबिक अपने विचारो को अभिव्यक्त हैं। सोशल मीडिया के उपभोक्ता अलग-अलग राष्ट्रों, प्रांतों, अंचलों, धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों, रीति-रिवाजों आदि से आते हैं। सोशल मीडिया पर वे अपनी इस पृष्ठभूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं। सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति का नियंत्रण सामान्यतः उसके उपभोक्ताओं के हाथों में ही है। सोशल मीडिया की यही विशेषता उसकी भाषा और विचारों को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यहाँ संपादक जैसी किसी संस्था का प्रभुत्व नहीं है, जो उसकी अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाए, इसलिए यह संप्रेषक पर ही निर्भर है कि वह अपनी अभिव्यक्ति को किस स्वरूप में प्रकाशित और प्रदर्शित करता है।

References

[1] प्रेस कानून और पत्रकारिता, संजीव भानावत ।
[2] प्रेस विधि, नन्द किशोर त्रिखा।
[3] मुद्दा जहमत और जरूरत सोशल मीडिया, दैनिक जागरण।
[4] मुद्दा न्यू मीडिया, दैनिक जागरण।
[5] डिजिटल स्पेस में विस्फोटन, पैट्रिक एस. एल. घोष और ठाकुरता गुहा परंजय, योजना वर्ष ५८, अंक-५, मई २०१३, पृ६ ६।
[6] १४० अक्षर एवं अरबो जटिलताए, योजना वर्ष-५८, अंक-५, मई २०१३, पृ०-५।
[7] सोशल मीडिया और हशिये का साहित्य, सुनीता, आजकल, प्रकाशन विभाग, जुलाई २०१६, वर्ष ७२, अंक-३, पृ६ ११।
[8] अब मुख्य धारा हो गया है, न्यू मीडिया, संजीव कुमार सिंहा, प्रवक्ता डहट कहम।
[9] https%//ramsundarmedia-blogspot-com/
[10] https%//navinsamachar-wordpress-com/history&of&journalism/new&media/
[11] http%//www-newswriters-in/2016/02/09/what&is&social&media/
[12] सोशल मीडिया और हिंदी, राहुल देव, दैनिक जागरण, १४.६.१६, पेज १०।
[13] चक्रव्यूह में घिरी टीवी पत्रकारिता, रजत शर्मा, साहित्य अमृत मीडिया विशेषांक, अगस्त २०१५

[14] डिजिटल मीडिया विज्ञापन में पारंपरिक मीडिया का हिस्सा मार रहा है, एनडीटीवी डहृट कहृम